इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 465] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 30 सितम्बर 2014—आश्विन 8, शक 1936

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर 2014

क्र. एफ-3-89-13-32.—भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर 2014 विभागीय समसंख्यक दिनांक 24 अगस्त 2013 के द्वारा भोपाल विकास प्राधिकरण की क्रियान्वित की जा रही होशंगाबाद रोड से रायसेन बायपास मार्ग तक विकास योजना की 60 मीटर चौड़ी सड़क के निर्माण की योजना में अंतिम अधिसूचना में कतिपय खसरों को सम्मिलित न किये जाने की सूचना पर परीक्षण हेतु एक समिति का गठन किया गया था. उक्त समिति द्वारा दिनांक 25 फरवरी 2014 को प्रतिवेदन शासन को प्रस्तुत किया. उक्त प्रतिवेदन के अनुसार योजना क्षेत्र की घोषणा अनुसार तथा अंतिम रूप से अधिसूचित योजना के क्षेत्र में लगभग 116 हे. भूमि के खसरों को सम्मिलित नहीं किया गया है.

राजपत्र, दिनांक 4 जून, 2010 में प्रकाशित योजना की अंतिम सूचना में केवल 69.802 हे. का क्षेत्र योजना में सम्मिलित होना सूचित किया गया.

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 52 (1) ख में राज्य शासन को ये शक्तियां प्राप्त है कि किसी नगर विकास स्कीम को निष्पादन के दौरान उपांतरित कर सके. किन्तु ऐसा कोई निदेश जारी करने के पूर्व नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी को अपना मामला उपस्थित करने का अवसर दिया जाना आवश्यक है. इस प्रकरण में राज्य शासन के समक्ष योजना में उपांतरण करने हेतु प्रस्ताव विकास प्राधिकारी की ओर से प्राप्त होने के कारण पृथक् से अवसर दिये जाने का औचित्य नहीं रहता.

भोपाल विकास प्राधिकरण से प्राप्त दस्तावेजों एवं राज्य शासन द्वारा इस योजना में सम्मिलित क्षेत्र का परीक्षण करने हेतु गठित समिति के प्रतिवेदन के आधार पर राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 52 (1) ख की शक्तियों का प्रयोग करते हुए होशंगाबाद मार्ग से रायसेन बायपास तक 60 मीटर चौड़े मार्ग एवं उसके उत्तर एवं दक्षिण ओर 300-300 मीटर तक के क्षेत्र को विकसित करने की योजना में उपांतरण करते हुये निर्देश दिये जाते हैं कि अधिनियम की धारा 50 (7) की अधिसूचना में दर्शाये गये खसरों के अतिरिक्त उन समस्त खसरों के संबंधित क्षेत्रफल को सम्मिलित किया जाये जिन्हें बिना किसी कारणवश उक्त अधिसूचना में सम्मिलित नहीं किया गया.

भोपाल विकास प्राधिकरण तद्नुसार योजना क्षेत्र का मानचित्र तैयार कर क्रियान्वयन के पूर्व संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश को सहमति हेतु प्रस्तुत करे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.